Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 62: Assessment of non-filers of returns

- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or section 74, where a registered person fails to furnish the return under section 39 or section 45, even after the service of a notice under section 46, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgement taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered and issue an assessment order within a period of five years from the date specified under section 44 for furnishing of the annual return for the financial year to which the tax not paid relates.
- (2) Where the registered person furnishes a valid return within ¹[sixty days] of the service of the assessment order under sub-section (1), the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn but the liability for payment of interest under sub-section (1) of section 50 or for payment of late fee under section 47 shall continue.

²[Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue.]

¹ Substituted for "thirty days" by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

² Proviso inserted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

धारा 62 : विवरणियों को फाइल न करने वाले व्यक्तियों का निर्धारण

- (1) धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां समुचित अधिकारी अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि और उपलब्ध तात्त्विक सामग्री या उस सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, जिससे असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण आदेश जारी करेगा।
- (2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से ¹[साठ दिन] के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है, वहां उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व बना रहेगा।

²[परंतु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिन के भीतर विधिमान्य वापसी करने में असफल रहता है, वहां वह साठ दिन की अतिरिक्त अविध के भीतर उक्त निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिन से परे विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए अतिरिक्त विलंब शुल्क के संदाय पर कर सकेगा और ऐसे मामले में निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किन्तु धारा 50 की उपधारा (1) अधीन ब्याज के संदाय का या धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय का दायित्व जारी रहेगा।

¹ वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा ''तीस दिन'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

² वित्त अधिनियम्, २०२३ द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।